3/यो0स०क०-07/2019 25

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -13.4.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में गैर योजनान्तर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कुल राशि 1000.00 लाख (दस करोड़) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआ-छूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत कुल रू० 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	(51-2235028000002)	0002.31.06	1000.00
	कुल योग : (दस करोड़)			**1000.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना हैं। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि 0दिनांक-03.12.2024, /236वि० दिनांक 09.03.2026, /2956वि दिनांक25. 03.2026, 314/वि० दिनांक01 .04. 2026एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-07/2019 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-35/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-07/2019 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-35/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-07/2019 25 पटना, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/लेखा शाखा, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-07/2019 25 पटना, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्यवरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-07/2019 25 पटना, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।